

तारीख हुक्म

हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/19  
 (महिला किं) सहायक  
 कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेवा

19-08/19

जहाँ तामावता पुत्र तथा जाति माली निवासी  
 तामपुर अं० ११ एवं धारा १५१ CPC पेश करने पर  
 पत्रावली केसल रेकॉर्ड से तलब की जाकर धाज  
 पेश हुई। नकील जहाँ ने निवेदन किया कि उ० नं०  
 १८७ में दावा दायी के पश्चात एवं वनवारी पुत्र मकत  
 जाति माली नि० तामपुर द्वारा माननीय न्यायालय  
 में राजीनामा पेश कर तदीक करने तथा इकबाली  
 जवाब पेश होने के बमबूद लतीश पुत्र तामनिस  
 जाति माली को उक्त उषा नम्बर के साथ-साथ  
 १८७ में से भी अपने हिस्सा का बेचन कर  
 नामांकरण से खारिजी उक्त लतीश के नाम  
 दर्ज हो गई अर्थात् उक्त लतीश उक्त वनवारी के  
 स्थान पर आया है। इसलिए दावा दायी के पश्चात  
 किसी भी परिवर्तन द्वारा दावा पर लागू से जारी  
 निर्णय एवं डिक्ली की पालना नहीं की जा सकती है।  
 इसलिए लतीश पुत्र तामनिस का नाम हजफ  
 किया जाने का आदेश जारी किया जाए। इस  
 संबंध में तहसीलदार खण्डेवा द्वारा भी मूल निर्णय  
 व डिक्ली में चालते संशोधन / मॉडिफिकेशन चाहिए  
 हैं। जहाँ लतीश पुत्र तामनिस जाति  
 माली निवासी तामपुर का उ० नं० १८७ से नाम  
 हजफ किया जाने हेतु सहमति वाक्य शपथ  
 पत्र पेश विद्वाना जिसके आधार पर नकील  
 जहाँ का ज० पत्र अ० धा० ५७ अ० ११ एवं

दिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

घाटा 15) CPC स्वीकार किया जाकर उक्त  
सतीश कुमार पुत्र रामनिवास का नाम ख.  
नं० 187 तन ग्राम रामपुरा से हजफ किया  
जाकर उक्त हिस्से का बादी को खतिया  
काशतकार घोषित किया जाता है। पत्रावली  
केसल शुमार खेकर पुनः केसल रेकार्ड में  
शामिल हों। निम्न खले न्यायालय में लुताया  
गया।

17/08/19  
(महेश सिंह) RPS  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) सुपडोजा